**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 2934**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**आंध्र प्रदेश में ग्रे हाउंड्स ट्रेनिंग सेन्टर**

**2934. डा॰ के॰ वी॰ पी॰ रामचन्द्र रावः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि सरकार आंध्र प्रदेश में ग्रे हाउंड्स ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित करने के लिए सहमत है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(ख) क्या आंध्र प्रदेश ने इस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

**(क): जी, हां। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का सं. 6) की धारा 9 में प्रावधान है कि आंध्र प्रदेश के उत्‍तरवर्ती राज्‍य को राज्‍य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने पर ऐसे स्‍थान पर ‘समरूपी अत्‍याधुनिक ‘प्रशिक्षण केंद्र यथा: ग्रेहाउन्‍ड प्रशिक्षण केंद्र, स्‍थापित करने में केंद्र सरकार सहायता करेगी।**

**(ख): आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्‍य की राजधानी स्‍थापित करने के लिए 12,444,89 हेक्‍टेयर वन क्षेत्र के डाईवर्जन तथा राज्‍य में अवसंरचना सुविधाएं उपलबध कराने का प्रस्‍ताव केंद्र सरकार को प्रस्‍तुत किया है। एमओईएफ एवं सीसी ने ग्रेहाउंड प्रशिक्षण केंद्र तथा अन्‍य पुलिस प्रतिष्‍ठानों की स्‍थापना हेतु 2087.09 हेक्‍टेयर वन क्षेत्र के डाइवर्जन के लिए दिनांक 20.09.2017 के आदेश के तहत सैद्धांतिक अनुमोदन/चरण-I अनापत्ति प्रदान कर दी है।**

**\*\*\*\*\*\***